

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी  
कन्या पुत्री कानारामजी जाति खारडिया चौधरी  
निवासी बाली तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण  
स्व. नेनाराम पुत्र चताराजी जाति खारडिया चौधरी  
चेनाराम पुत्र नेनाराम जाति खारडिया चौधरी  
निवासी मिरगेश्वर तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण GCMS No. 2025/417  
प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पुनः रेकॉर्ड पर लेकर सुनवाई करने बाबत  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

| तारीख हुक्म | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये  |
|-------------|---|
| 30/06/25    | <p>वकील प्रार्थी श्री मूलसिंह यादव उपस्थित।<br/>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पुनः रेकॉर्ड पर लेकर सुनवाई करने बाबत के साथ न्यायाधीश अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाली द्वारा सिविल मूल वाद संख्या 22/2012 सीआईएस नंबर 458/2014 अनवान तीजोबाई वगैरा बनाम कन्या वगैरा में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति पेश कर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2012/00270 बअनवान कन्या बनाम स्व. नेनाराम के कामु चेनाराम वगैरा दिनांक 12.06.2017 को सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निस्तारित प्रकरण को रेस्टोर (पुनः बरामद) करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पुनः रेकॉर्ड पर लेकर सुनवाई करने बाबत स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2012/00270 बअनवान कन्या बनाम स्व. नेनाराम के कामु चेनाराम वगैरा में पारित न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2017 को अपास्त कर प्रकरण को रेस्टोर (पुनः बरामद) कर पुनः नये नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर पूर्व निर्णीत पत्रावली के संलग्न हो।</p> |



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली